

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2016 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2016 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रभारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम उपस्थित हुए।

- विकास भवन स्थित श्रम संसाधान विभाग के खाली कमरे/हॉल को पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के बैठने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने हेतु पूर्ण विवरणी के साथ भवन निर्माण विभाग को पुनः पत्र भेजा जाय एवं प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से मिलकर भी अनुरोध किया जाय।

**(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव)**

- सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रभार के प्रशाखा के कार्यों का प्रशाखा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी/कनीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे। इस हेतु वे कैलेंडर निर्धारित कर लें। समीक्षा बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

**(अनुपालन :- सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

- पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑथोरिटी के गठन संबंधी संचिका विधि विभाग से वापस विभाग में प्राप्त हो गयी है। सहायक नगर निवेशक को निर्देश दिया गया कि पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑथोरिटी के कार्यालय की स्थापना एवं पद सृजन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करके संचिका 2 दिनों के अंदर उपस्थापित करेंगे।

**(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)**

- पटना मास्टर प्लान, 2031 क्षेत्र में 80 मीटर चौड़ी सड़क एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में स्थल निरीक्षण करके प्रस्तावित सड़क की वर्तमान स्थिति, भूमि की उपलब्धता, अवस्थित आधारभूत संरचनाओं यथा बिजली, नाला, सड़क, टेलीफोन आदि को चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करायी जाय एवं बैठक के लिए प्रस्तुतिकरण हेतु PPT तैयार किया जाय।

**(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)**

- गया, आरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं सहरसा से संबंधित मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 15.12.2016 को बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड की बैठक निर्धारित है। बैठक का एजेंडा बोर्ड के सभी सदस्यों को दिनांक 10.12.2016 तक उपलब्ध करा दी जाय।

**(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)**

- Ease of Doing Buisness से संबंधित उद्योग विभाग से माह सितम्बर से अब तक लगभग 5 पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक इससे संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित नहीं की गयी है। निर्देश दिया गया कि इसकी संचिका आज ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाय।

**(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)**

- Labour Cess संबंधी प्रावधान के संबंध में अन्य राज्यों में संचालित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने हेतु पिछली 2 बैठकों में निर्देश दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी है। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करके संचिका में अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय।

**(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)**

9. दिनांक 05.12.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर "लोक संवाद कार्यक्रम" में श्री अरविन्द कुमार द्वारा परामर्श दिया गया कि हॉस्पिटल के निकट 100 मीटर की परिधि के पथों में विशेषकर आयकर गोलम्बर, पटना में "No hoking" zone का Signages लगाया जाय। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा अथवा पटना नगर निगम अथवा जिन विभागों का पथ है, उनके द्वारा किया जाएगा, इसे स्पष्ट किया जाय तथा संबंधित विभागों/जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजने हेतु संचिका में उपस्थापित किया जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)
10. बुडको एवं SPUR द्वारा तैयार किये गये डी०पी०आर० एवं पिछले 3 वर्षों का BUDA के RTGS संबंधी कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।  
(अनुपालन :- श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)
11. अधोहस्ताक्षरी एवं सभी विभागीय पदाधिकारियों के नगर निकायों का निरीक्षण प्रतिवेदन, नगर निकायों के मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही, डूडा की मासिक बैठक की कार्यवाही, विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही, अंतर्जंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही आदि का विभागीय वेबसाईट पर अलग-अलग स्थान बनाकर अपलोड किया जाय। (अनुपालन :- श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)
12. मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना का जिन जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं, उनका Excel sheet/Hard copy SPUR को उपलब्ध करा दी जाय एवं जिन जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके जिला पदाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करके शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।  
(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव)
13. SPUR का Contract मार्च, 2017 को समाप्त हो रहा है। SPUR द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित दस्तावेज/डाटाबेस एवं Systems के हस्तांतरण के लिए एक Transition Plan बनाना है। इस हेतु श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव की अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है, जिसमें Team Leader, SPUR, श्री संजीय पांडेय, Team Leader, NULM (PMC) एवं श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर सदस्य रहेंगे। यह समिति 15 दिनों के अंदर Transition Plan बनाकर अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।  
(अनुपालन :- श्री नरेन्द्र सिंह, अपर सचिव)
14. स्ट्रीट लाईट के संबंध में गार्डलार्डन बनाने हेतु मुख्य अभियंता के स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी थी, जिसके द्वारा अभी तक गार्डलार्डन तैयार नहीं किया गया है। दिनांक 29.11.2016 को EESL के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में हुई चर्चा के आलोक गार्डलार्डन तैयार किया जाय। यह कमेटी एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में detailed Guideline तैयार करके अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपस्थापित करेंगे।  
(अनुपालन :- मुख्य अभियंता, बुडा)
15. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर इस हेतु सभी संबंधितों से समन्वय करके एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-5, 7 एवं आई०टी० मैनेजर)
16. विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री के 3 निश्चयों यथा नाली-गली योजना, पेयजल योजना एवं शौचालय निर्माण योजना तथा सबके लिए आवास योजना के अनुश्रवण हेतु जिले के सभी नोडल पदाधिकारी अपने संबंध नगर निकायों का स्थल भ्रमण करेंगे। नोडल पदाधिकारियों को स्थल भ्रमण के संबंध में तिथि निर्धारित करके विभाग द्वारा संसूचित कर दी गयी है। सभी पदाधिकारी निर्धारित तिथि के अनुरूप अपनी सुविधानुसार तिथि निर्धारित करके भ्रमण सुनिश्चित करेंगे।  
(अनुपालन :- सभी जिले के नोडल पदाधिकारी)

17. विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री के 3 निश्चयों यथा नाली-गली योजना, पेयजल योजना एवं शौचालय निर्माण योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु श्री अरविन्द कुमार झा (सहायक निदेशक), श्री सुरेश कुमार तिवारी (अधीक्षण अभियंता) एवं श्री सोमेश कुमार सिंह (कार्यपालक अभियंता) के दल द्वारा गाईडलाईन तैयार किया जाय, जिसमें यह स्पष्ट हो कि निकाय स्तर, जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था किस प्रक्रियानुसार होगी। यह दल एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से गाईडलाईन प्रारूप तैयार करके संचिका में उपस्थापित करना सुनिश्चित करेगी।  
(अनुपालन:-श्री अरविन्द कुमार झा (स०नि०), श्री सुरेश कुमार तिवारी (अधी०अभि०) एवं श्री सोमेश कुमार सिंह (कार्य० अभि०)
18. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


  
6/12/2016

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव

ज्ञापक 9105 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 07/12/16

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, SPUR/Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
6/12/2016  
प्रधान सचिव

**➤ प्रशाखा-01 :-**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

**➤ प्रशाखा-02 :-**

1. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

**2. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-**

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मददेनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

**3. स्ट्रीट लाईट :-**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

#### 4. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

#### 5. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

#### ➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

#### 2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

#### 3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

#### 4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसे आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

### 5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

### 6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

### 7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

#### ➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

#### ➤ प्रशाखा-04 :-

##### 1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके, प्रस्ताव गठित किया जाय।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय।

##### 2. आवास योजना का MIS लागू करना।

##### 3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

##### 4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

##### • NULM से संबंधित कार्य :-

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

#### ➤ प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. **नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-**
  - नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
  - बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।
6. **नगरीय प्रशासन :-**
  - "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
  - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
  - नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
  - शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
  - शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
  - पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
  - विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
  - Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्यवाई की जाय।
  - अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।
7. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**
  - (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।
  - **प्रशाखा-6 :-**
    1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।
  - **प्रशाखा-07 :-**
    1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
    2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
    3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।
  - **प्रशाखा-8 :-**
    1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।
  - **प्रशाखा-9 :-**
    1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक प्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।
3. TCPO कार्यालय का सुदृढीकरण।

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :-**

- (i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
- (ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।